रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940
No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

(राष्ट्रीय न्यास)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018

फा.सं. 184/एनटी नियमावली/विनियम/2015-16.—राष्ट्रीय स्वपरायण्ता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्ताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, न्यास बोर्ड विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करता है, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: -** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में, (जिसमें इसके पश्चात विनियम कहा गया है), विनियम 2 में, खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(ख क) "नियमावली" से – राष्ट्रीय स्वपरायण्ता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000' अभिप्रेत है।

3. उक्त विनियमों के, विनियम 4 में, -

(i) शीर्षक से, "सदस्यों से मित्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -

"परंतु कि बोर्ड से सहयुक्त वाले ऐसे व्यक्ति या वृत्रिक को दिव्यांगता के क्षेत्र में तीन वर्ष काम करने का अनुभव हो और उसकी आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं हो।";

(iii) उप विनियम (4) में, "छह महीने से अधिक की अवधि तक अपना व्यापार करने के लिए", शब्दों के स्थान पर "न्यास के मामलों को एक ही समय में अवधियों, जो छह माह से अधिक नहीं हैं, के लिए न्यास के कार्य कार्यान्वित करना हैं" रखा जाएगा;

(iv) उप विनियम (5) में "अपना कारबार करना", शब्दों के स्थान पर "न्यास का कार्य करना" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप विनियम (6), में "कारबार करना ", शब्दों के स्थान पर "कारबार कार्यान्वित करना", शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उप विनियम (8) में "कारबार करना ", शब्दों के स्थान पर "कारबार कार्यान्वित करना", शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त विनियम के विनियम 5 में, "तीस दिन", शब्दों के स्थान पर "पंद्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त विनियमों के विनियम 6 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, "नियमो के अधीन प्ररूप क या प्ररूप ङ", शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "इन विनियमों के अधीन प्ररूप क" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (2) में, "समाप्त होना ", शब्दों के स्थान पर और "अधिकारिता समाप्त होना" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त विनियमों के विनियम 7 में: -

(i) उप विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) अधिनियम के अधीन शामिल दिव्यांगजनों के कल्याण को बढावा देना संगठन का मुख्य उद्देश्य होगा।

(1ख) संगठन को विधिक अस्तित्व के रूप में समुचित रजस्ट्रीकरण कराना होगा जैसे कि एक सोसाइटी या के अधीन न्यास या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन एक कंपनी के रूप में जो कम से कम तीन वर्ष के लिए अस्तित्व में रहा है।

(1ग) संगठन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपाबंधों के अधीन संबंधित यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र, से भी रजस्ट्रीकरण करना होगा तथा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के "एनजीओ दर्पण" पोर्टल पर भी रजस्ट्रीकरण भी करना होगा।

(1घ) अद्यतन ऑनलाइन रजस्ट्रीकृत प्रारूप न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएंगा, अर्थात् :-

"(4) स्वीकृति प्राधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर या तो रजस्ट्रीकृत स्वीकृत कर सकते है या अस्वीकृत कर सकते हैं तथा उसके कारणों को लिखित में अभिलिखित कर सकते हैं।"

(iii) उप-विनियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8क) बोर्ड आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के तीस दिन के भीतर रजस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूर्ण करेगा।";

(iv) उप विनियमन (10) में, "रजस्ट्रीकरण रद्द करना" शब्दों के पश्चात लिखित रूप से कारणों को दर्ज करके "प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर" शब्द अंत: स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त विनियमों, के विनियमन 8 में, उप-विनियमन (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) बोर्ड द्वारा समय-समय पर रजस्ट्रीकृत संगठनों के सम्मिलित होने अथवा विभिन्न स्कीमों के आबंटन की प्रक्रिया और मूल्यांकन का अवधारित किया जायेगा।"

8. उक्त विनियमों के विनियम 9 में:-

(i) उप-विनियम (1) "भी बंद किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "भी बंद किया गया समझा माना जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियमन (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम, रखा जाएगा अर्थात् :-

"(2) अपने मूल रजस्ट्रीकरण के समापन के बारे में न्यास को सूचित करने के लिए एक संगम या संगठन की ओर से किसी भी विफलता को अनुदान या ऋण के रूप में न्यास द्वारा दी गई सभी निधियों या ऋण या सहायकी ब्याज के साथ या ब्याज के बिना प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है जैसा भी बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए और ऐसे संगम/संगठन काली सूची में डाला जा सकता है और इसके खिलाफ दांडिक मामला दर्ज किया जा सकता है।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 12 में: -

(i) उप-विनियम (3), में "एक विधि के अधीन रजस्ट्रीकृत और व्यक्तियों को देखरेख प्रदान करने में सक्षम", शब्द "रजस्ट्रीकृत है और दिव्यांगजनों को देखरेख प्रदान करने में सक्षम हो सकता है"; रखे जाएंगे,

(ii) उप-विनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम, रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) अधिनियम के अधीन पूरा करने से दिव्यांगता वाली स्त्री के लिए कोई भी एकल पुरुष संरक्षक के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसी स्त्री के मामले में, एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ सह-संरक्षक होगा, जो मुख्य सह-संरक्षक होगा, जैविक पिता के मामले में छोड़कर जो कुटुम्ब या संबंधियों की स्त्री सदस्य के साथ-साथ सह-संरक्षक हो सकता है।"

(10) उक्त विनियमों में, विनियम 14 को उसके उप-विनियम (1) के रूप में पुन संख्यांकित किया जाएगा और इस तरह पुन संख्यांकित उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(2) राष्ट्रीय न्यास अपने पोर्टल या वेबसाइट पर विधिक संरक्षकता के आवेदनों के लंबित और निपटाए गए मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा।"

11. उपर्युक्त विनियमों में, प्ररूप-क में, "विनियम 5 (1) देखिए", शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठक स्थान पर "विनियम 6 (1) देखिए" को शब्दों, अंक और कष्ठक रखे जाएंगे।

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञान –III/4/असाधारण/152/18]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र, में सा.का.ति संख्या 579 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2001 द्वारा असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 23 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फाईल संख्या 164/ संशोधित/आरआरएस/नेट/2014-15/खंड I, द्वारा किए गए जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III, धारा 4 में तारीख 10 नवंबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

(THE NATIONAL TRUST)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2018

F. No. 184/NT Rules/Regulations/2015-16 - In exercise of the powers conferred by the sub-sections (I) and (2) of section 35 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act,1999 (44 of 1999), the Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely:-

1. **Short title and commencement: -** (1) These regulations may be called the Board of the Trust (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the Trust Regulations, 2001, (herein after referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ba) "Rules" means the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules,2000'.

3. In the said regulations, in regulation 4,-

(i) in the heading, the words "other than members" shall be omitted;.

(ii) after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that such person or professional to be associated with the Board shall have three years working experience in the area of disability and shall not be more than sixty five years of age.";

(iii) in sub- regulation (4), for the words " to carry out its business, for a duration not exceeding six months", the words "to carry out the affairs of the Trust for periods not exceeding six months at a time" shall be substituted;

(iv) in sub- regulation (5) for the words "carry out its business", the words "carry out affairs of the Trust" shall be substituted;

(v) in sub- regulation (6), for the words "carry out the business", the words "carry out affairs", shall be substituted;

(vi) in sub- regulation (8) for the words "carry out the business", the words "carry out affairs" shall be substituted.

4. In the said regulation, in regulation 5, for the words "thirty days", the words "fifteen days" shall be substituted.

5. In the said regulations, in regulation 6,-

(i) in sub-regulation (1), for the words and letters "Form A or Form E under the rules", the words and letter "Form A under these regulations" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the words "having over", the words "having jurisdiction over" shall be substituted.

6. In the said regulations, in regulation 7,-

(i) after the sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1A) The promotion of welfare of the persons with disabilities covered under the Act shall be the main object of the organization.

(1B) The organization shall have proper registration as legal entity such as a society or a trust under the respective law or a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) which has been in existence for at least three years.

(1C) The organization shall also have registration with the respective State Government or Union territory, as the case may be, under the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and shall also be registered with 'NGO DARPAN' portal of the National Institution for Transforming India (NITI Aayog).

(1D) The updated online registration form shall be made available on the website of the Trust.";

(ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) The granting authority may either grant registration or refuse registration on the basis of the facts and circumstances of each case and record reasons in writing therefor.";

(iii) after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8A). The Board shall complete the registration process within thirty days of submission of all required documents by the applicant.";

(iv) in sub-regulation (10), after the words "cancel the registration", the words ", based on the facts and circumstances of each case by recording reasons in writing," shall be inserted.

7. In the said regulations, in regulation 8, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) The Procedure and evaluation of registered organizations for participation and for allocation of various schemes will be determined by the Board from time to time.".

8. In the said regulations, in regulation 9,-

(i) in sub-regulation (1), for the words "shall also cease", the words "shall also be deemed to have ceased" shall be substituted;

(ii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Any failure on the part of an association or organization to inform the Trust about the cessation of its basic registration may make it liable to refund all funds given by the Trust by way of grant or loan or subsidy with or without interest as may be determined by the Board and such association organization may be black listed and criminal case may be filed against it."

9. In the said regulations, in regulation 12,-

(i) in sub-regulation (3), for the words "registered under a law and capable of providing care of the persons", the words "registered and be capable of providing care of the person with disability"; shall be substituted.

(ii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(7) No single male person shall be considered as a guardian for female person with disability covered under the Act and in the case of such female person, a male person shall be co-guardian with his spouse, who shall be master co-guardian, except in the case of biological father who may be co-guardian along with a woman member of the family or relatives.".

10. In the said regulations, the regulation 14 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after the as so renumbered sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2) The National Trust shall make available the information regarding pending and disposed cases of legal guardianship applications on its portal or website.".

11. In the said regulations, in Form-A, for the words, figures and brackets "See regulation 5(1)", the words, figures and brackets "see regulation 6(1)" shall be substituted.

DR. PRABODH SETH, Jt. Secy. and Chief Executive Officer

[ADVT. – III/4/Exty./152/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 579 (E), dated the 3rd August,2001 and last amended *vide* notification number F.No.164/Modified/RRs/NAT/2014-15/Vol.I, dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, dated 10th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.24 11:52:09 +05'30'